राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1348/2016/अलवर
2. अपील संख्या – 1349/2016/अलवर

मैसर्स प्रेम पवित्र भोजनालय,
पुराना बस स्टैण्ड, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–बी, वृत–II, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.के.गंर्ग,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.05.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर घट–द्वितीय, वृत–ब, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 व 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कर रुपये 15462/–, ब्याज रुपये 8040/– को उक्त अपील में विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपी.आदे.दि.	क.नि.दि.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज
1348/16	34 / आरवेट / 2015–16 / अपी.प्रा. / अलवर	23.02.2016	22.04.2015	11–12	14592	5836
1349/16	33 / आरवेट / 2015–16 / अपी.प्रा. / अलवर	23.02.2016	22.04.2015	10–11	15462	8040

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी के वर्ष 2010–11 की पुनः जांच पर पाया कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में बिक्री पर 5 प्रतिशत वैट चुकाया गया है, जबकि विभाग में प्रस्तुत तिमाही वैट–07 के अनुसार उसके द्वारा आलोच्य अवधि में कुल रुपये 1,56,177/– की आईस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की खरीद पर 14 प्रतिशत से आगत कर का लाभ लिया गया आलोच्य अवधि में कम कर चुकाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 33 व 55 के तहत 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके पश्चात आलोच्य अवधि में की गई खरीद पर ट्रेडिंग एकाउण्टस के अनुसार सकल लाभ जोड़ते हुए 9 प्रतिशत से अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत न करने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

नोटिस की कार्यवाही करते हुए आईस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा पुनः यें अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वंारा पारित आदेश अनुचित व अविधिक होने से अपास्तनीय है। अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि में आईस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की खरीद पर 14 प्रतिशत की दर से क्लेम किया गया। आगत कर व बिक्री पर 5 प्रतिशत से वैट पूर्णतः उचित है। आईस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की खरीद में लाभांश जोड़कर कर व ब्याज विधिक दृष्टि से अनुचित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों को उचित बताया एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 के मूल कर निर्धारण आदेशों में मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश पारित किया गया है, जिसमें आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर पूर्व में गलती से आरोपित 14% की कर दर के स्थान पर 5% के आरोपण को सुधार करते हुए 9% का अंतर कर आरोपित किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को विश्लेषित किये बिना अपील अस्वीकार की गई है। उनका यह कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंतर कर का आरोपण 14% के माल की खरीद पर लाभ जोडते हुये उस पूरे माल का विक्रय मानकर अंतर कर आरोपित कर दिया है जबकि उस वर्ष में विक्रय राशि के वास्तविक विवरण लेखा पुस्तकों में उपलब्ध है अतः वास्तविक विक्रय राशि पर अंतर कर आरोपित किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी का कथन तथ्यात्मक रुप से स्वीकार योग्य है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश में आईस्क्रीम व कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर अंतर कर का आरोपण खरीद राशि के आधार पर कर दिया है, जबकि यह आरोपण विक्रय राशि पर किया जाना चाहिये था। अतः अपीलार्थी की इस बिन्दु की सीमा तक अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त विवादित आदेशों में संशोधन कर अपीलार्थी की आइस्क्रीम व कोल्ड ड्रिंक की वास्तविक बिक्री राशि पर अंतर कर व ब्याज की गणना कर संशोधित आदेश पारित करें। इस संबंध में

लगातार.....3

अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे अपनी लेखा पुस्तकों से सत्यापन करवाकर वास्तविक बिक्री राशियां कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। करारोपण मय ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

6. फलतः सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आईस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक के विक्रय पर अन्तर कर आरोपित करने के निर्णय की पुष्टि की जाकर इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है परन्तु कर गणना के बिन्दु पर खरीद राशि के स्थान पर वास्तविक बिक्री राशि (बिलों के अनुसार) पर अन्तर कर व ब्याज की गणना कर आदेश को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य